<u>न्यायालय: — सदस्य, द्वि० अति० मो० दु० दा० अधि० बालाघा</u>ट श्रृंखाला न्यायालय – बैहर

(पीठासीन अधिकारी– माखनलाल झोड)

मो**0 दु<u>0दा0</u>क्र.—36 / 2017** संस्थित दिनांक —11.12.2014 फायलिंग नम्बर—एम.ए.सी.सी. —

सुखचंद यादव आयु 23 वर्ष पिता हट्टुसिंह यादव निवासी–ग्राम बिरवा तहसील बैहर जिला बालाघाट

-// <u>विरूद</u> //-

- टीकमिसंह आयु 32 वर्ष पिता बिंदेसिंह धुर्वे {ड्राईवर}
 निवासी ग्राम तोरगा पोस्ट सालेटेकरी, तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- 2. रणमतसिंह पिता गंगाराम मरकाम **{वाहन मालिक}** निवासी ग्राम तोरगा पोस्ट सालेटेकरी, तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- 3. एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी **[बीमा कंपनी]** शाखा कार्यालय जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर

— — अनावेदकगण

<mark>मो० दु.० दा.० क्र.—54 / 2017</mark> संस्थित दिनांक —17.12.2014 फायलिंग नम्बर—एम.ए.सी.सी. / 90 / 2017

- 1. 🔨 राजकुमारी मेरावी आयु 28 वर्ष पति स्व. दुरपसिंह मेरावी
- 2. आरती मेरावी आयु 08 वर्ष पिता स्व. दुरपसिंह मेरावी
- 3. अक्षय कुमार आयु 06 वर्ष पिता स्व. दुरपसिंह मेरावी
- 4. भारती आयु 03 वर्ष पिता स्व. दुरपसिंह मेरावी
- 5. रवीना आयु 01 वर्ष पिता स्व. दुरपसिंह मेरावी कमांक 2 से 5 नाबालिग की ओर से वली मॉ राजकुमारी पति दुरपसिंह सभी निवासी वार्ड नम्बर 8 ग्राम बिरवा, थाना बैहर जिला बालाघाट

– <u>आवेदकगण।</u>

_// विरुद्ध //-

निवासी ग्राम तोरगा पोस्ट सालेटेकरी, तहसील बैहर जिला बालाघाट।

2

2. रणमतिसंह पिता गंगाराम मरकाम **{वाहन मालिक}** निवासी ग्राम तोरगा पोस्ट सालेटेकरी, तहसील बैहर जिला बालाघाट।

3. एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी **[बीमा कंपनी]** शाखा कार्यालय जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर

— — — <u>अनावेदकगण</u>

<u>मो0 दु0दा0 क्र.-55 / 2017</u>

संस्थित दिनांक —11.12.2014

फायलिंग नम्बर-एम.ए.सी.सी. / 91 / 2017

राजेन्द्र यादव आयु 28 वर्ष पिता रायसिंह यादव निवासी—ग्राम बिरवा तहसील बैहर जिला बालाघाट

🏟 - - - <u>आवेदक</u>

-// <u>विरूद</u> //_

- 1. टीकमसिंह आयु 32 वर्ष पिता बिंदेसिंह धुर्वे **(ड्राईवर)** निवासी ग्राम तोरगा पोस्ट सालेटेकरी, तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- रणमतिसंह पिता गंगाराम मरकाम {वाहन मालिक}
 निवासी ग्राम तोरगा पोस्ट सालेटेकरी, तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी {बीमा कंपनी}
 शाखा कार्यालय जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर

– – – अनावेदकगण

सभी मोटर दुर्घटना दावों के लिये :— आवेदक द्वारा श्री दिगम्बर कौशले /श्री विनोद जैतवार अधिवक्ता। अनावेदक कमांक 1, 2 द्वारा श्री मो. शाकिर कुरैशी अधिवक्ता। अनावेदक कमांक 3 द्वारा श्री वाय.डी. टेंभरे अधिवक्ता।

-/// <mark>अधिनिर्णय</mark> ///-(<u>आज दिनांक 09 अक्टूबर 2017 को घोषित</u>)

- 1. तीनों मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एक दूसरे से संबंधित होने के कारण सभी मोटर दुर्घटना दावों का निराकरण एक—साथ किया जा रहा है।
- 2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि पॉलिसी क्रमांक 2318200749858700000 दिनांक 05.05.2014 से 04.05.2015 तक के लिए

अनावेदक क्रमांक 3 एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर के पास वाहन क्रमांक एम.पी. 50 ए. 4122 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी. 50 ए. 4123 बीमित है।

- 3. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 36/2017 के आवेदन का सार यह है कि आवेदक सुखचंद आयु 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 बिरवा तहसील बैहर जिला बालाघाट का निवासी होकर कृषि कार्य और मजदूरी कर 6000/—रू. प्रतिमाह आय अर्जित करता था। दिनांक 05.05.2014 को दोपहर 03:00 बजे नाकाटोला के पास अंतर्गत थाना बिरसा में अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50 ए. 4122 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी. 50 ए. 4123 लोकमार्ग पर उतावलेपन से चलाकर टक्कर मार दी जिससे आवेदक अपंग हो गया है, कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। थाना बिरसा ने अपराध क्रमांक 67/2014 धारा 304—ए भा.द.वि. के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जो कि न्यायालय में लिम्बत है।
- 4. आवेदक पूर्णतः अपंग हो जाने से उसे 4,00,000 / रू. आय की क्षिति हुई है, ईलाज में व्यय 3,00,000 / रू. हुआ है, मानसिक—शारीरिक क्लेश हेतु 1,00,000 / रू., भविष्य के ईलाज हेतु 50,000 / रू. कुल 8,50,000 / रू. के लिए दावा पेश किया है, अनावेदकगण से दुरिभ संधि नहीं की है, अवार्ड पारित कर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और वाद व्यय दिलाए जाने की याचना की है।
- अनावेदक क्रमांक 1, 2 का उत्तर पेश नहीं है।
- 6. अनावेदक क्रमांक 3 ने पृथक उत्तर पेश कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन पत्र में किए गए शेष तथ्यात्मक और आक्षेपयुक्त अभिवचनों को इंकार किया है तथा आवेदक की आय 6,000 / रूपए मासिक होना इंकार किया है, वाहन क्रमांक एम.पी. 50 ए. 4122 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी. 50 ए. 4123 से दुर्घटना होना इंकार किया है, दुरिम संधि न होना इंकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि पेश बीमा पॉलिसी बनावटी है। रणमतिसंह पिता गंगाराम निवासी सालेटेकरी के नाम से उक्त वाहन बीमित किए गए थे, अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, दुर्घटना दिनांक 05.05.14 को हुई थी। उक्त दिनांक को उक्त बीमा पॉलिसी प्रभावशील नहीं थी। अनावेदक क्रमांक 3 के विरूद्ध दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

- मोटर दुर्घटना दावा कमांक 54/2017 के आवेदकगण 7. के आवेदन का सार यह है कि दिनांक 05.05.2014 को दोपहर 3:00 बजे नाकाटोला पुलिस थाना बिरसा में वाहन क्रमांक एम.पी. 50 ए. 4122 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50 ए. 4123 जो अनावेदक कमांक 2 के स्वामित्व की है तथा अनावेदक क्रमांक 3 के पास बीमित है, को अनावेदक क्रमांक 1 उतावलेपन से लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटा दिया जिससे आवेदक क्रमांक 1 के पति, आवेदक क्रमांक 2 से 5 के पिता दुरूपसिंह मेरावी उम्र 30 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो गई। दुरूपसिंह कृषि कार्य एवं मजदूरी कर 6000 / - रू. मासिक आय अर्जित कर आवेदकराण का पालन पोषण करता था। मृतक अनावेदक क्रमांक 2 के पास कृषि कार्य, हमाली कार्य करता था। अंतिम संस्कार जाति रिवाज अनुसार किया गया जिसमें 15,000 / – रू. खर्च हुए, चिकित्सालय से ग्राम बिरसा शव लाने में 10,000 / - रू. खर्च हुए, आवेदिका क्रमांक 1 के दांपत्य सुख से वंचित होना पड़ा इस हेतु 2,00,000 /-- रू. दिलाया जावे, आवेदक क्रमांक 2 से 5 पिता के लालन पालन से वंचित हुए इसलिए 2,00,000 / -रू. की क्षति हुई है, आय की क्षति 8,00,000 🖊 – रू. हुई कुल 12,60,000 / – रू. के लिए दावा पेश किया है, अनावेदकगण से दुरिभ संधि नहीं है, 9 प्रतिशत ब्याज और वादव्यय सहित 12,60,000 / - क. दावा राशि दिलाए जाने की याचना की है ।
- 8. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कपंनी ने उत्तर पेश कर मोटर दुध् टिना दावा क्रमांक 36/2017 के समान ही पेश किया है। बचाव के अन्य आधार समान रूप से लिए गए है जिनकी पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 9. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 55/2017 के आवेदक के आवेदन का सार यह है कि आवेदक राजेन्द्र यादव उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 तहसील बैहर जिला बालाघाट का निवासी है, कृषि मजदूरी कर 6000/—रू. मासिक आय अर्जित करता था। दिनांक 05.05.2014 को दोपहर 2 बजे नाकाटोला के पास थाना बिरसा में अनावेदक कमांक 2 के स्वामित्व का वाहन जो कि अनावेदक कमांक 3 के पास बीमित था, को अनावेदक कमांक 1 द्वारा वाहन कमांक एम.पी. 50 ए. 4122 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50 ए. 4123 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की, दुर्घटना से आवेदक को अपंगता कारित हुई, वह आय अर्जन से वंचित हो गया। दुर्घटना से आय की क्षति के लिए 4,00,000/—रू., उपचार व्यय 3,00,000/—रू., मानसिक क्लेश 1,00,000/—रू., भविष्य में उपचार के लिए 50,000/—रू. इस प्रकार कुल

8,50,000 / —रू. के लिए दावा पेश किया है, साथ में 9 प्रतिश ब्याज दिलाए जाने की याचना की है।

10. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कपंनी ने उत्तर पेश कर मोटर दुध् टिना दावा क्रमांक 36/2017 के समान ही पेश किया है। बचाव के अन्य आधार समान रूप से लिए गए है जिनकी पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

तीनों दावों के निराकरण के लिए निम्नानुसार वाद प्रश्न निर्मित किए गए है :-

(अ) मोटर दुर्घटना कमांक 36 / 2017 :-

क.	वादप्रश्न 🔊	निष्कर्ष
A S	क्या दिनांक 05.05.2014 को दोपहर 3:00 बजे नाकाटोला बिरवा तहसील बैहर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 50 ए	प्रमाणित
	4122 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50 ए. 4123 को अनावेदक कमांक 1 टीकमसिंह द्वारा उतावलेपन से अथवा लापरवाहीपूर्वक चलाकर आवेदक को दुष्ट टिनाग्रस्त कर स्थायी अपंगता कारित की ?	
2.	क्या दिनांक, समय, स्थान पर उक्त वाहन को अना.क. 1 द्वारा चलाते समय वाहन का पंजीकृत स्वामी अना.क. 2 होकर अना.क. 3 के पास बीमित था ?	प्रमाणित नहीं
3.	क्या उक्त दिनांक, समय, स्थान पर अना.क. 1 ने बीमा की शर्तो का उल्लंघन करते हुए उक्त वाहन को दुध् दिना के समय चलाया ?	प्रमाणित नहीं
4.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से पृथक—पृथक अथवा संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति राशि ८,50,000 / —रू. एवं उस पर ९ प्रतिशत ब्याज पाने के अधिकारी है ?	
5.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका 31–ए के अनुसार

[ब] मोटर दुर्घटना कमांक 54/2017

क.	विचारणीय प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 05.05.2014 को दोपहर 3:00 बजे नाकाटोला बिरवा तहसील बैहर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 50 ए 4122 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50 ए. 4123 को अनावेदक कमांक 1 टीकमसिंह द्वारा उतावलेपन से अथवा लापरवाहीपूर्वक चलाकर आवेदक को दुष्ट दिनाग्रस्त कर स्थायी अपंगता कारित की ?	प्रमाणित असिरियो
2.	क्या दिनांक, समय, स्थान पर उक्त वाहन को अना.क. 1 द्वारा चलाते समय वाहन का पंजीकृत स्वामी अना.क. 2 होकर अना.क. 3 के पास बीमित था ?	प्रमाणित नहीं
3.	क्या उक्त दिनांक, समय, स्थान पर अना.क. 1 ने बीमा की शर्तो का उल्लंघन करते हुए उक्त वाहन को दुध् दिना के समय चलाया ?	प्रमाणित नहीं
4.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से पृथक—पृथक अथवा संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति राशि 12,60,000 / —रू. एवं उस पर 9 प्रतिशत ब्याज पाने के अधिकारी है ?	कंडिका 27 के अनुसार
5.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका 31–ए के अनुसार

{स}	क्स	M,	
	क.	विचारणीय प्रश्न	निष्कर्ष
	1.	क्या दिनांक 05.05.2014 को दोपहर 3:00 बजे नाकाटोला बिरवा तहसील बैहर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50 ए 4122 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी. 50 ए. 4123 को अनावेदक क्रमांक 1 टीकमसिंह द्वारा उतावलेपन से अथवा लापरवाहीपूर्वक चलाकर आवेदक को दुष्ट टिनाग्रस्त कर स्थायी अपंगता कारित की ?	प्रमाणित

2.	क्या दिनांक, समय, स्थान पर उक्त वाहन को अना.क.	प्रमाणित नहीं
1	1 द्वारा चलाते समय वाहन का पंजीकृत स्वामी अना.क.	
	2 होकर अना.क. 3 के पास बीमित था ?	
3.	क्या उक्त दिनांक, समय, स्थान पर अना.क. 1 ने बीमा	प्रमाणित नहीं
	की शर्तो का उल्लंघन करते हुए उक्त वाहन को दुध	
	टिना के समय चलाया ?	
4.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से पृथक—पृथक अथवा	कंडिका 30 के
	संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति राशि 850000 / – रू. एवं उस	अनुसार
	पर 9 प्रतिशत ब्याज पाने के अधिकारी है ?	83
5.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका 31-ए
1	Ya	के अनुसार

मो0 दु0दा0क 0 36 / 17 का वादप्रश्न कमांक 1 एवं मो0 दु0दा0क 0 54 / 17 एवं 55 / 17 का विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

- 11. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 36/17 के आवेदक सुखचंद (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपना मुख्य कथन पेश कर साक्ष्य दी है कि दुर्घटना दिनांक को अना.क. 1 अना.क. 2 की अनुमित से वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 50 ए 4122 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50 ए. 4123 को चला रहा था। उक्त वाहन अना.क. 3 बीमा कंपनी के पास बीमित है। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में अनावेदकगण के विरुद्ध दर्ज किए जाने पर अपराध कमांक 67/2014 धारा 304ए भा.द.वि. के अधीन किया था। चालान न्या.दंडा.प्रथम श्रेणी बैहर के न्यायालय में पेश किए जाने पर प्रकरण कमांक 573/2014 दर्ज हुआ। मुख्य कथन के पद कमांक 5 में कथन किया है कि दुर्घटना में आयी चोट के मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.ए. 1 पेश की है। साक्षी ने अपने अपंगता बाबद प्रमाण पेश नहीं किया है।
- 12. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 54/17 के आवेदकगण के साक्षी राजकुमारी मेरावी (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन के पद कमांक 2 में साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक को साक्षी के पति दुरूपसिंह मजदूरी और कृषि कार्य करते थे। अनावेदक कमांक 2 के निर्देश पर ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 50 ए 4122 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50 ए. 4123 में दइयानटोला से धामनगांव खेती में लगाने के लिए जा रहे थे,

नाकाटोला के आगे पुलिया के पास अनावेदक क्रमांक 1 ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पलटा दिया जिससे घटना दिनांक 05.05.14 को साक्षी के पति दुरूपसिंह की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई।

- 13. साक्षी ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 7 में कथन किया है कि मृतक दुरूपसिंह की दुर्घटना से संबंधित आपराधिक मामले के दस्तावेज पेश किए है। अंतिम रिपोर्ट प्र.ए. 2 है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.ए. 3 है, उक्त वाहन की जप्ती का जप्ती पत्रक प्र.ए. 4 है, दुरूपसिंह के शव परीक्षण आवेदन व परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए. 5 है।
- 14. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 55/17 के आवेदक राजेन्द्र यादव (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन के पद कमांक 3 में साक्ष्य दी है कि दुर्घटना के कारण उसे अत्यधिक आघात पहुंचा है। पद कमांक 4 में कथन किया है कि घटना दिनांक को अना.क. 1, अना.क. 2 की अनुमित से वाहन चला रहा था। वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 50 ए 4122 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50 ए. 4123 अना.क. 3 के पास बीमित था। पद कमांक 5 में मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.ए. 6, जप्ती पत्रक प्र.ए. 7 पेश करना कथन किया है।
- 15. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तीनों दावों का वादप्रश्न/विचारणीय प्रश्न कमांक 1 प्रमाणित पाया जाता है।

मो0द्0दा0क 0 36 / 17 का वादप्रश्न कमांक 2 एवं मो0द्0दा0क 0 54 / 17 एवं 55 / 17 का विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

- 16. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 36/17 सुखचंद (आ.सा.1) ने मुख्य कथन के पद कमांक 4 में वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 50 ए 4122 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50 ए. 4123 को वाहन स्वामी अना.क. 2 की अनुमित से अना.क. 1 घटना के समय चला रहा था और अना.क. 3 बीमा कंपनी के पास बीमाकृत था साक्ष्य दी है। मुख्य कथन में दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है। तत्संबंध में मोटर दुर्घटना दावा कमांक 54/2017 एवं 55/2017 में भी समान साक्ष्य है, दस्तावेज पेश नहीं है।
- 17. अनावेदक कमांक 3 के साक्षी प्रेमप्रकाश द्विवेदी प्रबंधक ने अधिकरण के समक्ष साक्ष्य दी है कि वह एच.डी.एफ.सी. जबलपुर शाखा में पदस्थ है। बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का संचालन साक्षी

के द्वारा किया जाता है। साक्षी की कंपनी में पॉलिसी नंबर 2318200749858700000 वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 50 ए 4122 के लिए दिनांक 10.05.14 को 13:32 बजे से दिनांक 09.05.15 की मध्यरात्रि तक के लिए जारी किया गया था। प्रस्तुत पॉलिसी की तारीख, समय में कूटरचना कर न्यायालय में पेश किया गया है। दिनांक 05.05.14 को उक्त वाहन साक्षी की कंपनी से बीमित नहीं था। पद कमांक 2 में कथन किया है कि पुलिस ने चार्जशीट में वाहन चालक के विरूद्ध 3/181, 5/180 मो.या.अधि. की लगाई है। साक्षी ने बीमा पॉलिसी पेश की है जो प्र.एन.ए. 1 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। प्र.एन.ए. 2 प्रीमियम रजिस्टर है। प्र.एन.ए. 3 बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण है। प्र.एन.ए. 4 फण्ड ट्रांसफर कमांक ए.एक्स.आई.आर. 141266823426 के द्वारा जारी की गई पॉलिसियों का विवरण है।

- 18. पद कमांक 3 में कथन किया है कि फर्जी बीमा पॉलिसी जारी होने के विरुद्ध साक्षी द्वारा थाना बिरसा में शिकायत दिनांक 30.06.2015 को रिजस्टर्ड डाक द्वारा की गई थी जो प्र.एन.ए. 5 है जिसकी डाक रसीद प्र.एन.ए. 6 है। पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर पुनः रिमांइडर पुलिस थाना बिरसा को दिनांक 10.06.17 को किया था जो प्र.एन.ए. 7 एवं प्र.एन.ए. 8 है। पुलिस अधीक्षक बालाघाट को दिनांक 10.06.17 को भेजा गया रिमाइंडर प्र.एन.ए. 9 है। पुलिस अधीक्षक को भेजी प्राप्ति रसीद प्र.एन.ए. 10 है, साक्षी के द्वारा प्रीमियम रिजस्टर की सी.डी. जो मई 2014 की है, आर्टिकल ए—1 है।
- 19. प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि बीमा पॉलिसी क्रमांक 2318200749858700000 साक्षी की कंपनी द्वारा जारी की गई है। पुलिस के संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.ए. 7 के ए से ए भाग पर पॉलिसी दिनांक 04.05.2015 के मध्य रात्रि तक वैध होना लेख है। पद क्रमांक 5 में आवेदक की ओर से दिए गए सुझावों को साक्षी ने 05.05.14 से बीमा पॉलिसी जारी होना छायाप्रति के आधार पर स्वीकार नहीं किया है। पद क्रमांक 6 में इंकार किया है कि दिनांक 06.05.14 के पूर्व वाहन के बीमा हेतु प्रीमियम राशि प्राप्त हो चुकी थी। रणमतिसंह के बैंक खाते से प्रीमियम राशि ट्रांसफर होना इंकार किया है।
- 20. इस प्रकार दुर्घटना के समय दुर्घटना दिनांक 0505.2014 को प्र.एन.ए. 1 लगायत प्र.एन.ए. 10 की दस्तावेजी साक्ष्य और आर्टिकल ए—1 की सी.डी. के आधार पर उक्त वाहन अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी के पास बीमित होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्तानुसार तीनों दावों का वादप्रश्न/विचारणीय प्रश्न कमांक 2 निराकृत किया जाता है।

मो0 दु0 दा0 क 0 36 / 17 का वादप्रश्न क मांक 3 एवं मो0 दु0 दा0 क 0 54 / 17 एवं 55 / 17 का विचारणीय प्रश्न क मांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:—

21. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी पर है। बीमा कंपनी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं है। अभिलेख पर साक्ष्य का अभाव होने से तीनों दावों का वादप्रश्न/विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित नहीं है।

मो0 दु0दा0क 0 36 / 17 का वादप्रश्न कमांक 4 एवं मो0 दु0दा0क 0 54 / 17 एवं 55 / 17 का विचारणीय प्रश्न कमांक 4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:—

- 22. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 36/17 के आवेदक सुखचंद (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद 1 में साक्ष्य दी है कि दुर्घटना के पूर्व स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होकर कृषि व मजदूरी कार्य करता था। स्वयं व परिवार का पालन पोषण करता था। वह 6000/—रू. मासिक आय अर्जित कर लेता था। दुर्घटना के बाद वह पूर्णतः अपंग हो गया है, कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। पद कमांक 3 में कथन किया है कि दुर्घटना के कारण आय की क्षति के मद में 4,00,000/—रू., उपचार में हुए व्यय के मद में 3,00,000/—रू., शारीरिक मानसिक क्लेश के मद में 1,00,000/—रू., भविष्य में उपचार व्यय हेतु 50,000/—रू. कुल 8,50,000/—रू.क्षितिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी होना कथन किया है।
- 23. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 8 में कथन किया है कि उसने अपनी आय 6000 / रू. प्रतिमाह होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। पद कमांक 9 में कथन किया है कि अपंगता का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। प्र.ए. 1 चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 1 इंच गुणा 1/2 इंच गुणा 1/2 इंच की लैसेरेटेड चोट है, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 आकार की लैसेरेटेड चोट बाएं एड़ी के पास है। बाएं कूल्हे में 3 इंच गुणा 3 इंच आकार की सूजन होना, दाहिने घुटने में 1/2 इंच गुणा 1/2 इंच आकार की रगड़युक्त चोट तथा बायीं कोहनी में 1 इंच गुणा 1/4 इंच आकार की एब्रेज़न होना लेख है। एक्स—रे के लिए सलाह दी थी, किंतु एक्स—रे रिपोर्ट पेश न होने से तथा अपंगता प्रमाण पत्र पेश न होने से अस्थिभंग आवेदक सुखचंद को होना प्रमाणित नहीं है, किंतु साधारण चोट होना प्रमाणित है। उपचार संबंधी चिकित्सालय के बिल, दवाई के बिल, आवागमन के बिल न होने से उपचार के मद में कोई राशि प्रदान नहीं की जा सकती। भविष्य के उपचार के मद में

कोई राशि प्रदान नहीं की जा सकती। अपंगता प्रमाण पत्र पेश न होने से भविष्य की आय में कमी होना आंकलित नहीं की जा सकती। इस प्रकार साधारण चोट के आधार पर कारित शारीरिक और मानसिक कष्ट के लिए आवेदक सुखचंद मात्र 5,000/-रूपए पाने का पात्र है।

- 24. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 54/17 की आवेदिका राजकुमारी मेरावी (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि उसका पित दुरूपसिंह कृषि व मजदूरी कार्य करता था। पद कमांक 4 में कथन किया है कि उसका पित कृषि कार्य, कृषि हमाली का कार्य करता था जिसके एवज में अना.क. 2 के द्वारा 6000/—रू. मासिक वेतन दिया जाता था। साक्षी का पित साक्षी व परिवार का पालन पोषण करता था। असमय मृत्यु हो जाने से वे असहाय हो गये है।
- 25. इस साक्षी ने पद क्रमांक 5 में कथन किया है कि शासकीय चिकित्सालय बिरसा से ग्राम बिरसा उसके पति को लाकर अंतिम संस्कार किया था जिसमें 50000/—रू. व्यय हुआ। शव लाने ले जाने में 10000/—रू. व्यय हुए। आवेदिका दांपत्य सुख से वंचित हुई के एवज में 2,00,000/—रू. की मांग की है। आवेदिका क्रमांक 2 से 5 पिता के सुख से वंचित हुए है, लाड़ प्यार पालन पोषण से वंचित हुए है 2,00,000/—रू. की क्षति चाही है, पति की मृत्यु होने से 8,00,000/—रू. आय की क्षति हुई है। इस प्रकार कुल 12,60,000/—रू. दिलाए जाने की याचना की है। प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 26. मृतक दुरूपिसंह की आय कृषि कार्य से 6000 / रू. मासिक अनावेदक कमांक 2 के द्वारा दी जाती थी, के संबंध में अना क्र 2 के द्वारा कूटपरीक्षण नहीं किया गया है इसलिए मृतक की आय 6000 / रू. मासिक मानी जाती है। आवेदकगण 5 व्यक्ति है। मृतक की आय में से 1/5 अंश मृतक स्वयं पर व्यय करता था, के सिद्धांत के आधार पर 4800/- मासिक आश्रितता आवेदकगण की निर्धारित की जाती है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए. 5 के अनुसार मृतक की आयु 25 वर्ष अंकित है।
- 27. न्यायदृष्टांत— $\frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{r} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{m}}$ $\frac{\mathbf{q}$

कमशः 25,000/-, 25,000/-, 25,000/-, इस प्रकार कुल {1036800+25000+100000+25000+25000+25000+25000} = 12,61,800/- रूपए की क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार मोटर दुर्घटना दावा कमांक 54/2015 का वादप्रश्न/विचारणीय प्रश्न कमांक 4 निराकृत किया जाता है।

- 28. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 55/17 के आवेदक राजेन्द्र (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद 3 में साक्ष्य दी है कि दुर्घटना के कारण साक्षी को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा है। पूर्व की तरह कार्य नहीं कर पा रहा है, अपंग हो गया है इसलिए आय की क्षति के मद में 4,00,000/—रू., उपचार में हुए व्यय के मद में 3,00,000/—रू., शारीरिक मानसिक क्लेश के मद में 1,00,000/—रू., भविष्य के ईलाज के मद में 50,000/—रू. कुल 8,50,000/—रू. दिलाए जाने की साक्ष्य दी है। मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.ए. 6 तथा उपचार से संबंधित पर्चियां प्र.ए. 8 लगायत प्र.ए. 71 होना साक्ष्य दी है। साक्षी ने फर्जी बिल पेश करना इंकार किया है।
- 29. साक्षी के द्वारा प्रदर्शित दवाई क्य करने के बिल, राशि अदा करने के बिल, रेल यात्रा टिकिट प्र.ए. 12 लगायत प्र.ए. 29, प्र.ए. 31 लगायत प्र.ए. 44, प्र.ए. 56 लगायत प्र.ए. 71 में व्यय की गई/भुगतान की गई कुल राशि 1,29,500/-रू. है जो उपचार में व्यय हुआ है।
- 30. उपचार के दौरान आहत/आवेदक राजेन्द्र को एक सहायक की आवश्यकता होने से 5,000/—रूपए सहायक के लिए, मानसिक और शारीरिक पीड़ा के मद में 7,000/—, साधारण क्षति के मद में 5,000/—, णौष्टिक आहार के मद में 3500/— दिलाया जाना उचित है। इस प्रकार कुल {129500+7000+5000+10000+3500} =155,000/- रू. की क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार मोटर दुर्घटना दावा कमांक 55/2017 का वादप्रश्न/विचारणीय प्रश्न कमांक 4 निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय :-

31. तीनों दुर्घटना दावा प्रकरणों में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण प्रत्येक में पृथक्—पृथक् आयी साक्ष्य के आधार पर किया गया है। प्रत्येक मामले के वादप्रश्न क्रमांक 5 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की

पुनर्रावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :—

- (A) मोटर दुर्घटना दावा कमांक 36/2017 के आवेदक सुखचंद को 5000/- {पांच हाजार रूपए}, मोटर दुर्घटना दावा कमांक 54/2017 के आवेदकगण को 10,36,800/- {दस लाख छत्तीस हजार आठ सौ} रूपए एवं मोटर दुर्घटना दावा कमांक 55/2017 के आवेदक राजेन्द्र को 1,29,500/- {एक लाख उन्तीस हजार पांच सौ रूपए} क्षितिपूर्ति राशि अनावेदक कमांक 2 वाहन मालिक से आवेदन दिनांक से राशि अदाएगी दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने के पात्र है।
- (B) मोटर दुर्घटना दावा कमांक 36/17 आवेदक सुखंचद को प्राप्त होने वाली राशि 5000/—{पांच हजार रूपए} मय बयाज के उसके बैंक खाते में ई—भुगतान द्वारा जमा कराई जावे।
- (C) मोटर दुर्घटना दावा कमांक 54/17 की आवेदिका क. 1 राजकुमारी मेरावी को प्राप्त होने वाली राशि (207360+100000+25000) = 332360/- रूपए में से 300000/- रूपए 5 वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे। शेष राशि 32360/- रूपए एवं ब्याज उसके बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा जमा कराई जावे।

आवेदक क्रमांक 2 लगायत 5 (आरती, अक्षय, भारती एवं रवीना) को प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः (207360+25000)= 232360/-, 232360/-, 232360/- प्रत्येक बच्चों के वयस्क होते तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे। आवेदक क्रमांक 2 लगायत 4 को प्राप्त होने वाला त्रै—मासिक ब्याज आवेदिका क्रमांक 1 राजकुमारी के खाते में ई—भुगतान द्वारा जमा किया जावे जिसे वह बच्चों के शिक्षण / पालन पोषण में व्यय करेगी।

- (D) मोटर दुर्घटना दावा कमांक 55/17 के आवेदक राजेन्द्र को प्राप्त होने वाली राशि 155000/- रूपए मय ब्याज के उसके बैंक खाते में ई—भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।
 - (E) तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।
 - (F) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया।

^{सही} ∕ − **(माखनलाल झोड़)**

सदस्य द्वि.अति.मो.दु.दावा अधि. बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर सही / — **(माखनलाल झोड़)**

सदस्य द्वि.अति.मो.दु.दावा अधि. बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 36/2017 —:: <u>व्यय तालिका</u> ::—

क	विवरण	आवेदक	अना. क.1,2	अना.क.3
1.	वाद पत्र पर शुल्क 🏑	20.00	-	- /
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	20.00	-	20.00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	-	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	- 2	(2)
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	Elga,	-
N)	योग –	1150.00	1100.00	1130.00

मोटर दुर्घटना दावा कमांक 54/2017 -:: <u>व्यय तालिका</u> ::-

क	विवरण 太	आवेदक	अना. क.1,2	अना.क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20.00	-	- 4
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	-	XI BO
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	-	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	- 8	Ó -
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	Water Contract of the Contract	-
	योग —	1130.00	1100.00	1110.00
HIRIAN SIFION EU ARTON				

मोटर दुर्घटना दावा कुमांक 55/20157

-:: <u>व्यय तालिका</u> ::-

100					
क	विवरण 🥂	आवेदक	अना. क.1,2	अना.क.	
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20.00	-	200	
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	-	10.00	
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	- 8	10.00	
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	CE ON	-	
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100.00	
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-)	1 2 N	-	
	योग —	1130.00	1100.00	1120.00	
(माखनलाल झ सदस्य द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० श्रृंखला न्यायालय बै					

द्वि0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर each and the state of the state